तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 43/2024 जीसीएमएस : 2024/175 अशोक कुमार आदि बनाम स्टेट आदि अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
17.12.2024	आज यह पत्रावली अपीलार्थी सं. 2 व 3 के द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2024 प्रस्तुत कर अपील विदड्रावल आधार पर दाखिल दफ्तर फरमाने हेतु निवेदन करने पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलार्थी सं. 1 अशोक कुमार की प्रार्थना पर दिनांक 10.12.2024 को अपीलार्थी सं. 1 की हद तक अपील विड्रा आधार पर अस्वीकार की जा चुकी है। रेस्पों. सं. 2 से 6 के अधिवक्ता के द्वारा अपील विड्रा आधार पर खारिज किये जाने पर सहमति प्रकट की है। चूंकि शेष अपीलार्थीगण सं. 2 व 3 क्रमशः मौजाराम व रघुवीर के द्वारा भी अपील विड्रा हेतु प्रार्थना की गयी है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की प्रार्थना पत्र अपीलार्थीगण को अपील विड्रा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में दिनांक 10.12.2024 को प्रत्यर्थी सं. 7 जगदीश गोदारा को पक्षकार प्रत्यर्थी संयोजित किया गया था, चूंकि अपीलार्थीगण के द्वारा अपनी अपील विड्रो कर ली गयी है ऐसे में प्रत्यर्थी की प्रार्थना हस्तगत अपील पत्र में विचारणीय नहीं है। प्रत्यर्थी सक्षम न्यायालय के समक्ष चाराजोही हेतु स्वतंत्र है। अपील अपीलार्थीगण विड्रो आधार पर इसी स्तर पर खारिज की जाती है। प्रकरण में पारित निषेधाज्ञा दिनांक 10.12.2024 को भी निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (अवधेश मीना) I.A.S. जिला कलक्टर अनूपगढ़	Rd. 17.12.24 (for appellants)

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)